

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर



III/निगरानी/रीवा/भूरा/2017/3660

पुष्पेन्द्र सिंह तनय स्व० श्री हरिकृष्ण प्रताप सिंह, उम्र 53 वर्ष, निवासी-ग्राम सिरमौर,
तहसील सिरमौर, जिला रीवा (म०प्र०)निगरानीकर्ता

बनाम


1. श्रीमती कमलेश कुमारी पत्नी स्व० श्री हरिकृष्ण प्रताप सिंह
2. भूपेन्द्र सिंह तनय स्व० श्री हरिकृष्ण प्रताप सिंह
3. श्रीमती दमयन्ती सिंह पत्नी स्व० श्री हरिकृष्ण प्रताप सिंह
4. पुष्पराज सिंह तनय स्व० श्री हरिकृष्ण प्रताप सिंह
सभी निवासी-ग्राम सिरमौर, तहसील सिरमौर, जिला रीवा (म०प्र०)
5. श्रीमती कान्ती सिंह पति श्री अरविन्द सिंह पुत्री स्व० श्री हरिकृष्ण प्रताप सिंह,
निवासी-ग्राम मौंहार, तहसील रघुराज नगर, जिला सतना
6. श्रीमती मालती सिंह पति गिरजेश प्रताप सिंह पुत्री स्व० श्री हरिकृष्ण प्रताप सिंह,
निवासी-ग्राम नौलखा, तहसील हड़िया, जिला इलाहाबाद (उ०प्र०)
7. श्रीमती रमा सिंह पति स्व० शिवनाथ सिंह पुत्री हरिकृष्ण प्रताप सिंह,
निवासी-ग्राम गभुआनी, पोस्ट बगढ़ा, तहसील सिरमौर, जिला रीवा
8. श्रीमती कल्पना सिंह पति महेन्द्र प्रताप सिंह पुत्री स्व० हरिकृष्ण प्रताप सिंह,
निवासी-ग्राम गभुआनी, पोस्ट बगढ़ा, तहसील सिरमौर, जिला रीवा

LF-12-10-17

श्री विक्रम सिंह वर्दिया

द्वारा आज दि. 6-10-17 को

स्तुत


क्लर्क ऑफ कोर्ट 6-10-17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

.....गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी आवेदन विरुद्ध आदेश तहसीलदार सिरमौर
जिला रीवा के विचाराधीन प्रकरण क्रमांक
58/अ-27/16-17 में पारित आदेश दिनांक 31.08.17
अन्तर्गत धारा 50 म०प्र०भू०रा०सं०1959 ई०।

मान्यवर,

प्रकरण को उत्भूत करने वाले तथ्य संक्षेप में यह है कि-

(58)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश प्रपत्र

प्रकरण क्रमांक III/निग-17/25.12/नि/3660

पुस्तक/मामला

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
09/01/19	<p>आवेदक की ओर से श्री <u>वि. लास. सिंह अर्वा पिता</u> अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी तहसीलदार <u>वि. र. राव</u> के प्रकरण क्रमांक <u>58/3-27/16-17</u> में पारित आदेश दिनांक <u>31-8-17</u> के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला <u>रवा</u> के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक <u>22/4/19</u> को कलेक्टर जिला <u>रवा</u> के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">सदस्थ</p>	